

५-१२-२०२० पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/परिवारिक/ अपीलार्थी/रिस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं/ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर हैं/अवेकांश पर हैं/अन्य चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ६-१-२०२१ को पेश हो।

५१
रीडर

६-१-२०२१) वकील उभयपक्ष उपर/वकील वादी ने अभी तक संशोधित वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया है। वकील वादी को इस हेतु एक और अवसर दिया जाता है। वास्तव में संशोधित वादपत्र पत्रावली दि० १५-१-२०२१ को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (स०मा०)

१५-१-२१) पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में कई बार आवज लगवाने के उपरांत भी स्वयं वारीगण और उनके वकील हाजिर अदालत नहीं हुए हैं। अतः पत्रावली दावा अफम हाजरी अफम फैली में खारिज की जाती है। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तउमिल दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी (स०मा०)

